न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर,टोंक

प्रकरण संख्या 07/2026

श्री ओम प्रकाश माली पुत्र श्री रामदेव माली निवासी ग्राम माताजी का मोहल्ला नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक ——अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति० जिला कलेक्टर टोंक ——प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 17.02.2026**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आनॅलाईन अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति० जिला कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 07.12.2025 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गईः—

कोई सरकारी कर्मचारी राजकीय कार्यालय में आमजन से अभद्र भाषा मे बात करे या अभद्र व्यवहार करे तो आमजन राजकीय कार्यालय मे वीडियोग्राफी और फोटो ले सकता है, प्रमाणिक जानकारी प्रदान करे।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति० जिला कलेक्टर टोंक को पत्र कमांक 162 दिनांक 30.01.2026 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति० जिला कलेक्टर टोंक ने पत्र कमांक 76 दिनांक 28.01.2026 से जवाब प्रेषित किया है कि प्रार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत ऑनलाईन आवेदन वर्तमान अति० जिला कलेक्टर, टोंक की आर्डडी रामरतन सौंकरिया की जगह पी एल जाट के ऑनलाईन पोर्टल पर किये जाने से प्रार्थना पत्र इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है। अपीलाण्ट द्वारा चाही गई सूचनां प्रश्नात्मक होने के कारण जवाब दिया जाना संभव नही होने से उनके पत्र कमांक 75 दिनांक 28.01.2026 द्वारा अपीलान्ट को सूचित किया गया है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति० जिला कलेक्टर टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(कल्पना अग्रवाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)